FRHS INDIA
Children by choice, not chance

Image Source: Courtesy of Paula Bronstein/Getty Images/Images of Empowerment.

सुरक्षित गर्भपात अधिकारों की वकालत

फाउंडेशन फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेस इंडिया (एफआरएचएस इंडिया) मैरी स्टोप्स इंटरनेशनल (एमएसआई) की एक सहयोगी संस्था है। मैरी स्टोप्स इंटरनेशनल (एमएसआई) विश्व के 37 देशों में महिलाओं और युवतियों को गर्भनिरोध और सुरक्षित गर्भपात सेवाएं प्रदान करता है। एफआरएचएस इंडिया लैंगिक समानता और सुरक्षित गर्भपात की वकालत के लिए प्रतिज्ञा अभियान चला रहा है। इस अभियान के माध्यम से एफआरएचएस इंडिया सरकार, मीडिया तथा विधिक संस्थाओं के साथ वकालत करता है ताकि महिलाओं के सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक की पहुँच बनी रहे।

PRATIGYA

लैंगिक समानता और सुरक्षित गर्भपात के लिए प्रतिज्ञा अभियान

लैंगिक समानता और सुरक्षित गर्भपात की वकालत के लिए प्रतिज्ञा अभियान जनवरी 2013 में संबंधित हितधारकों के समूह द्वारा शुरू की गई, ताकि महिलाओं के अपने प्रजनन लक्ष्यों को पूरा करने के संबंध में निर्णय लेने के अधिकार सुरक्षित रहे। ये हितधारक प्री–कांसेप्शन एंड प्री–नेटल डॉयग्नोस्टिक टेक्नीक्स एक्ट (पीसीपीएनडीटी एक्ट) और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 (एमटीपी एक्ट) के बीच अधिव्यापन पर विचार करने के लिए इकट्ठा हुए। इस अधिव्यापन के कारण सभी प्रकार के गर्भपात को लिंग–चयन के रूप में आरोपित किया जाता है और इस प्रकार गर्भपात के महिलाओं के अधिकार में रूकावट डालता है। समय के साथ, इस अभियान ने अपने लक्ष्यों को विस्तार दिया है, और अब कई मुद्दों पे वकालत करती है जैसे गर्भपात की अनुमति के लिए कोर्ट जाने वाली महिलओं की बढ़ती संख्या, मीडिया द्वारा अपुष्ट व असंवेदनशील रिपोर्टिंग और प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेन्स्ट सेक्सुअल ऑफेन्सेज़ एक्ट (पॉक्सो एक्ट) के साथ विरोधाभास।

प्रतिज्ञा अभियान की वकालत चार मुख्य बिन्दुओं की परिधि में निर्मित की गई है

मेडिकल गर्भपात

बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मेडिकल गर्भपात की उपलब्धता पर कराये गये सर्वे के आधार पर अभियान भारतीय औषधि महानियंत्रक के साथ यह सुनिश्चित करने की वकालत करती है कि महिलाओं को मेडिकल गर्भपात की दवाएं उपलब्ध करायी जायें। अभियान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ यह भी वकालत करती है कि अंतरिम उपाय के तहत एमटीपी नियमों में भी इस आशय का संशोधन करे कि एमबीबीएस डॉक्टरों को मेडिकल दवाएं लिखने का प्रावधान हो ताकि सुरक्षित गर्भपात तक बेहतर पहुँच और इलाज की सुविधा सुनिश्चित हो पाए।

विधिक वातावरण

यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिलाओं के अधिकारों के साथ समझौता न हो, अभियान न्यायालय में जाने वाले गर्भपात के मामलों की निरंतर निगरानी करने का लक्ष्य रखती है और सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे मामलों में संबंधित संस्थाओं तथा शिकायतकर्ताओं से मुलाकात करती है ताकि यह समझ बनाई जा सके कि इस प्रकार के मामलों में न्यायालय द्वारा शिकायतों को सुना जाए और न्याय हो।

प्रदाता सहायता

अभियान मेडिकल गर्भपात सेवा प्रावधानों को समझने के लिए प्रदाताओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करती है। इसका उद्देश्य फेडरेशन ऑफ ऑब्सटेट्रिक एंड गायनोकोलॉजिकल सोसाइटीज़ ऑफ इंडिया (एफओजीएसआई) और प्रदाताओं के साथ मिलकर काम करना है ताकि गर्भपात सेवा से जुड़ी उनकी चिंताओं को समझा जा सके और उनका समाधान सूचना, शिक्षा, और संचार सामग्री के माध्यम से किया जा सके।

सहयोग निर्माण

अभियान महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर काम कर रहे विभिन्न संगठनों तक पहुँचती है और युवा लोगों के साथ सहभागिता करती है ताकि वे गर्भपात तक पहुँच के अधिकार को अपने एजेंडा में शामिल करें।

मुख्य उपलब्धियां 2019

सहभागियों की संख्या **84** से बढ़कर **110** हो गई

दो मुख्य रिपोर्ट प्रकाशित की–

'चार भारतीय राज्यों में मेडिकल गर्भपात की दवाओं की उपलब्धता'

एवं

'सुरक्षित गर्भपात में न्यायालय की भूमिका'

मेडिकल गर्भपात की उपलब्धता और सुरक्षित गर्भपात में विधिक बाधाओं से जुड़े मुद्दों पर

प्रकाशित किया गया

94

समाचार पत्रों में प्रकाशन, जिसमें तीन प्रमुख दैनिकों – **टाइम्स ऑफ इंडिया, हिन्दुस्तान टाइम्स और द पॉयोनियर** में वैचारिक लेख भी शामिल हैं

गर्भपात अधिकारों से संबंधित सोशल मीडिया अभियान, जिसमें लगभग **18,000** लोगों तक पहुँच बनाई गई और

90,000 से अधिक प्रतिक्रिया मिली

राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ मेडिकल गर्भपात पर सम्मेलन का आयोजन किया गया

मुख्य अधिकारियों से वकालत की गई

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
- केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन

अधिक जानकारी के लिए, संपर्क करें:

मुख्यालय: बी–37, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली – 110049, फोन: +91 11 49840000, **वेबसाइट:** www.pratigyacampaign.org

हमें फेसबुक और ट्वीटर पर फॉलो करें: @PratigyaRights | @RightsPratigya

हमारे साथ वालंटियर करने के लिए, कृप्या लिखें: **secretariat@pratigyacampaign.org**